प्रेस विज्ञप्ति

"अफीम कृषकों हेतु आवश्यक सूचना "

ऐसे कृषक, जिनका अफीम पोस्त कृषि लाइसेंस पूर्व के वर्षो में निरस्त हो गया था, तथा फसल वर्ष 2022–23 के लिए जारी भारत सरकार द्वारा जारी की गई अफीम नीति, अधिसूचना संख्या 2/2022(NC-1)GSR 738(E) तथा 3/2022(NC-1) GSR 739(E) दोनो दिनांक 28.09.2022 के प्रावधानो के अन्तर्गत जिनकी लाइसेंस के लिए पात्रता संभावित है, की सूची विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ उपलब्ध है। लाइसेंस के इच्छुक कृषक इस सूची का अवलोकन कर अपनी पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यद्यपि पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची यथासम्भव सावधानीपूर्वक तैयार की गई , तथापि यदि कोई कृषक यह समझाता है कि उपर्युक्त अफीम नीति 2022–23 के प्रावधानों के अनुसार वह पात्र है, परन्तु उसका नाम वेबसाइट पर अपलोड किए गए संभावित पात्र कृषकों की सूची में सम्मिलित नही होन पर, वह दिनांक 17.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि में अपना प्रत्यावेदन सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष डाक द्वारा अथवा ई–मेल द्वारा प्रेषित कर सकता है। सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी का ई–मेल पता तथा आवेदन का प्रारूप भी विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर उपलब्ध है, तथा सामान्य जन की जानकारी हेतु निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	ई–मेल पता (email-id)	हेल्प–डेस्क फोन नम्बर
	राजस्थान ईकाई		
1.	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	doo-kota@cbn.nic.in	0744-2438935
2.	जिला अफीम अधिकारी, भीलवाडा	doo-bhilwara@cbn.nic.in	01482-297522
3.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ प्रथम खण्ड	doo-chittorgarh1@cbn.nic.in	01472-240958
4.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ द्वितीय खण्ड	doo- chittorgarh2@cbn.nic.in	01472-240958
5.	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौडगढ तृतीय खण्ड	doo- chittorgarh3@cbn.nic.in	01472-297070
6.	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ प्रथम खण्ड	doo-pratapgarh@cbn.nic.in	01478-222079
7.	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ द्वितीय खण्ड	doo-pratapgarh2@cbn.nic.in	01478-222079
8.	जिला अफीम अधिकारी, झालावाड	doo-jhalawar@cbn.nic.in	07432-232311
	मध्य प्रदेश ईकाई		
9.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम खण्ड	doo-neemuch1@cbn.nic.in	07423-228003
10.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच द्वितीय खण्ड	doo-neemuch2@cbn.nic.in	07423-228004
11.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच तृतीय खण्ड	doo-neemuch3@cbn.nic.in	07423-228002
12.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर प्रथम खण्ड	doo-mandsaur1@cbn.nic.in	07422-241963
13.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर द्वितीय खण्ड	doo-mandsaur2@cbn.nic.in	07422-241114
14.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर तृतीय खण्ड	doo-mandsaur3@cbn.nic.in	07422-241143
15.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड	doo-jaora1@cbn.nic.in	07414-230411
16.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा द्वितीय खण्ड	doo-jaora2@cbn.nic.in	07414-230811
17.	जिला अफीम अधिकारी, गरोठ	doo-garoth@cbn.nic.in	07425-238073
	उत्तर प्रदेश ईकाई		
18.	जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी	doo-barabanki@cbn.nic.in	05428-224812

प्रत्यावेदन की जॉच उपरान्त विभागीय अभिलेखों के अनुरूप पात्रता प्रमाणित होने पर अफीम कृषि हेतु लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रखें केवल संभावित पात्रता सूची में नाम आने मात्र से लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता नही है, विभागीय अभिलेखों के अनुरूप पात्रता प्रमाणित होने पर ही अफीम कृषि हेतु लाइसेस जारी किया जाएगा। **निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा वांछित सूचना पूर्ण नही होने की दशा में, प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जाएगा।**

आज्ञा से

उप–नारकोटिक्स आयुक्त,

नीमच / कोटा / लखनऊ

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक कृषक का नाम /पिता अथवा पति का नाम (लाइसेंस प्राप्त कृषक की मृत्यु हो चुकी होने की दशा उसके वारिसों में से एक जिसके पक्ष अन्य सभी वारिस सहमत हो के नाम के साथ मृतक कृषक का नाम तथा उससे सम्बन्ध उल्लेखित करें)	
2.	ग्राम, तहसील, जिला एवं अफीम प्रभाग	
3.	कृषक का यूनिक कोड संख्या (जैसा कि विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर उपलब्ध है)	
4.	डि–लाइसेंस (De-license)होने का फसल वर्ष	
5.	डि–लाइसेंस (De-license)होने का कारण (जैसा कि विभाग द्वारा जारी रिफयूजल मेमो (Refusal-memo) में उल्लेखित है)	
6.	अंतिम फसल वर्ष जिसमें अफीम की खेती की हो	
7.	वर्तमान फसल वर्ष 2022–23 के लिए जारी अफीम नीति अधिसूचना संख्या जिनके प्रावधानो के अन्तर्गत जिनकी लाइसेंस के लिए पात्रता का दावा किया गया है, कृपया किसी एक को सही निशान (Tick)करें	i. अधिसूचना संख्या 2/2022(NC-1)GSR 738(E) दिनांक 28.09.2022 ii. अधिसूचना संख्या3/2022(NC-1) GSR 739(E) दिनांक 28.09.2022
8.	वर्तमान फसल वर्ष 2022–23 के लिए जारी अफीम नीति अधिसूचना संख्या में उल्लेखित प्रावधान की प्रस्तर संख्या (Para No.)जिसके अन्तर्गत जिनकी लाइसेंस के लिए पात्रता का दावा किया गया है	
9.	आवेदक का पूरा पता, डाकखाना सहित, फोन नम्बर/ मोबाइल नम्बर , ई–मेल पता (email-id)	
10.	लाइसेंस के दावे के साक्ष्य हेतु संलग्न प्रपत्र (दस्तावेज) कृपया सही निशान (Tick)करें	i. विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in से डाउनलोड किए गए कृषक के रिकार्ड (master data) की प्रति ii. डि–लाइसेंस (De-license)होने पर विभाग द्वारा जारी किए गए रिफयूजल मेमो (Refusal-memo) की प्रति iii. यदि घटिया (inferior)अफीम प्रस्तुत करने के कारण डि–लाइसेंस किया गया है तो महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच/गाजीपुर , अथवा मुख्य नियन्त्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए अन्तिम शास्ति आदेश (Penalty Order)की प्रति iv. यदि एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में संलिप्त पाए जाने पर डि–लाइसेंस किया गया है, तो दोषमुक्त पाए जाने पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत अंतिम आदेश (Final Order)की प्रति तथा प्रकरण में कोई अपील विचाराधीन न होने का प्रमाण–पत्र v. जिस भूमि पर खेती हेतु आवेदन किया गया राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नकल की प्रमाणित प्रति, यदि भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज नही है तो भूस्वामी द्वारा जारी किया गया नोटरी किया हुआ शपथ–पत्र, लीज–प्रमाण –पत्र

vi. आवेदक बैक खाता पास–बुक की प्रति

vii. आवेदक का फोटो पहचान–पत्र, **निम्नलिखित में से कोई एक**

a. मतदाता पहचान–पत्र
b. आयकर पैन कार्ड
c. ड्राइविंग लाइसेंस
d. वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
e. आधार कार्ड
f. बैक पास–बुक
g. कोई अन्य प्रमाण–पत्र जिससे पहचान सुनिश्चित की जा सके।

viii. कृषक की मृत्यु होने की दशा में

a. कृषक का मृत्य–प्रमाणपत्र
b. राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारिस–प्रमाणपत्र अथवा परिवार प्रमाणपत्र
c. सभी वारिसो के नाम तथा पतें
d. किसी एक वारिस के पक्ष में जारी नोटरी किया हुआ शपथ पत्र सहमति पत्र
e. यदि मृतक कृषक द्वारा आवेदक को नामित किया गया है तो

प्रमाण–पत्र

मै.. (आवेदक का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त आवेदन में प्रस्तुत सूचनाए मेंरे संज्ञान में पूर्णतया सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छिपाया गया है न ही तोड–मरोड कर प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत आवेदन में संलग्न सभी प्रपत्रों की मूल–प्रतियां मेरे पास है तथा किसी भी समय मांगे जाने पर मै इन्हें प्रस्तुत कर दूंगा। मुझे भली–भांति ज्ञात है कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर किसी भी शासकीय सुविधा हेतु आवेदन करना दंडनीय अपराध है तथा मै यह आवेदन पूरे होशो–हवास में बिना किसी दबाव में पढ–सुन–समझ कर प्रस्तुत कर रहा हूँ, तथा प्रमाण स्वरूप आज दिनांक .... को इस पर हस्ताक्षर /अगूँठा निशानी कर रहा हूँ।

आवेदक कृषक /कृषक की मृत्यु होने की दशा में वैध वारिस, के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी
स्थान ....

गॉव के दो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूँठा निशानी

1..(नाम/पिता का नाम)

2..(नाम/पिता का नाम)

ग्राम लम्बरदार के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवेदक कृषक/कृषक की मृत्यु होने की दशा में वैध वारिस ने, उपर्युक्त प्रमाण–पत्र पर मेंरे समक्ष हस्ताक्षर /अगूँठा निशानी बनाए है।

ग्राम के अफीम लम्बरदार के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी
(गॉव बन्द होने की दशा में आवश्यक नही)
स्थान ....
दिनांक ....